सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0- 185/2021 दिनांक- 1 1 अप्रैल 2021

प्रेस-विज्ञप्ति

थानाबरदह -

20 लीटर अपमिश्रित शराब के साथ 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये गये अवैध शराब अभियान में अभियुक्तो की गिरफ्तारी के क्रम मे दिनांक विनोद कुमार 0नि0को प्र 10.04.2021मय हमराह के देखभाल क्षेत्र , जांच प्रापत्र0, चेकिंग संदिग्ध ब्यक्ति वाहन व पेंडिंग मुकदमात की विवेचना तथा / त्रिस्तरीय पंचायत च्ुनाव के दृष्टिगत भ्रमण पर निकले थे कि मुखबिर खास के जरिये अवैध शराब के निर्माण की सूचना मिली। इस सूचना पर विश्वास करके आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 4-फूलपुर मनोज कुमार यादव क्षेत्र में मामूर मय स्टाफ प्रअशफाक अहमद से सम्पर्क कर सोहौ 0सि0आ0पंकज सिह व प्र 0सि0आ0ली मोड पर बुलाया गया। इस सचूना पर आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 4-फूलपुर मनोज कुमार यादव मय स्टाफ के सभी लोग सोहौली मोड पर मिलकर उक्त सूचना के सम्बन्ध में आपस मे बातचीत कर एक राय होकर मौके पर प्रस्थान किये। मौके पर देहदुआर गाँव में ईट भट्ठें पर एक बारगी सम्पूर्ण फोर्स की सहायता से घेरा बन्दी किया गया कि पुलिस टीम को देखते ही दो व्यक्ति भागने लगे जिन्हे दौड़ाकर घेर कर पकडा गया। भागने का कारण पूछते हुए उन्ही दोनो ब्यक्तियो की निशानदेही पर बाहर मिट्टी में दबे हुए लगभग 250KG लहन को बरामद कर मौके पर नष्ट किया गया व 10 ग्राम नौशादर व लगभग डेढ़ किलोग्राम यूरिया व गुड़ लगभग 500 अबैध अपमिश्रित शराब व लगभग 0ली 20 सफेद रंग के प्लास्टिक के पिपिया में लगभग 2 किलोग्राम बरामद कि़या गया। पकडे गये व्यक्तियो ने अपना नाम व पता क्रमशः -1अनिल सिह पुत्र सोहबत सिह सा 2 चंदवा थाना चंदवा जनपद लातेहार राज्य झारखण्ड 0 -जितेन्द्र लोहरा पुत्र बुलठा लोहरा साचंदवा थाना चंदवा जनपद लातेहार राज्य झारखण्ड बताया गया। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि भट्ठें के मालिक मनोज सिह पुत 0्र अज्ञात निवासी देहदुआर थाना बरदह जनपद आजमगढ द्वारा हम लोगों के माध्यम से शराब बनवाई जाती है। अभियुक्तो द्वारा किया गया यह कृत आबकारी अधिनियम की धारा)60क120/272 / (बी भाबजे पुलिस हिरासत में लिया गया 13.10 का अपराध बता कर समय करीब 0वि0द0। उक्त के संबंध मे थाना स्थानीय पर मु धारा 21/79 0स0अ0)60क120/272 / (बी भा0वि0द0 पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

-1अनिल सिह पुत्र सोहबत सिह सा चंदवा थाना चंदवा जनपद लातेहार राज्य झारखण्ड 0

- 2जितेन्द्र लोहरा पुत्र बुलठा लोहरा साचंदवा थाना चंदवा जनपद लाते 0हार राज्य झारखण्ड

बरामदगी-

20 लीटर अपमिश्रित शराब, 500 ग्राम नौशादर, डेढ़ किलो यूरिया, 10 किलो गुड़ वअपमिश्रित शराब बनाने के उपकरण

पंजीकृत अभियोग-

मु)60 धारा 21/79 0स0अ0क120/272 / (बी भा0वि0द0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्र विनोद कुमार चालक 0नि0हे0 संतोष सिह वाहन सं 0का0UP 50AGकविता मेहरोत्रा 0का0 आनंद चौरसिया म 0 हमराह आदित्य मिश्रा का 0425, चालक संतोष कुमार सिंह थाना बरदह जनपद आजमगढ

थाना मुबारकपुर

10 लीटर अपमिश्रित अबैध शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियो की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री सिद्धार्थ तोमर के कुशल पर्वेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर अखिलेश कुमार मिश्र के नेतृत्व में थाना मुबारकपुर पर अलग –अलग टीम गठित कर आगामी त्रिस्तरीय सामान्य पंचायत चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु अपराध/अपराधियो की धड़ पकड़ करने हेतु लगातार भ्रमणशील रहकर संन्दिग्ध व्यक्ति / वाहनो की चेकिंग की जा रही थी कि मुखबीर खास की सूचना प्राप्त हुआ जिसके क्रम में -

प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर अखिलेश कुमार मिश्र के नेतृत्व में थाना मुबारकपुर पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति प्लास्टिक के जरीकेन मे अवैध मिलावटी शराब लेकर बनवारी मोड़ की तरफ से सठियाव की ओर सड़क पकड़कर आ रहा है कि पुलिस टीम द्वारा तत्परता से रेलवे लाईन क्रासिंग के पास पहुच कर सन्दिग्ध व्यक्ति को दिनांक- 10.04.2021 समय 18.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया है जिसके पास से एक सफेद रंग की प्लास्टिक के जरीकेन मे अवैध मिलावटी शराब बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 75/2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम व 272,273 IPC थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण – अभियुक्त सनोज चौधरी पुत्र दसई राम निवासी ग्राम सठियाँव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ पूछने पर बार-बार अपने कृत्य का माफी मांगते हुए बता रहा है कि साहब नशा को ज्यादा करने के लिए मै इसमे यूरिया व नौशादर मिलाकर मिलावट करके तैयार करता हूँ। इन सब चीजो को मिलाने से नशा बढ जाता है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण—

1. मु0अ0सं0 75/2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम व 272,273 IPC थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

सनोज चौधरी पुत्र दसई राम निवासी ग्राम सठियाँव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी –

10 लीटर अवैध मिलावटी शराब

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण –

1. श्रीकृष्ण प्रजापति, चौ.प्र. सठियाव थाना कोतवाली, आजमगढ़

2. हे0का0 फूलचन्द यादव, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़

3. का0 त्रिलोकी प्रसाद मौर्य, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़

4. का0 ऋषिकेश राय, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़

थाना बिलरियागंज

01 अदद अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में मुझ थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना बिलरियागंज द्वारा दिनांक 11.04.2021 को मय फोर्स के तहत तलाश वांछित/वारण्टी अपराधी रोकथाम जूर्म जरायम के दृष्टीगत देखभाल क्षेत्र , जांच भ्रमण अगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मौजूद थे कि मुखबिर खास सूचना मिली की एक व्यक्ति कन्धरापुर कोहड़ी की तरफ से जैराजपुर की तरफ पैदल आ रहा है उसके पास नाजायज असलहा है। वह गोवंशी पशु की तस्करी भी करता है। इस सूचना पर विश्वास करके मय हमराह व मुखबिर खास के प्रस्थान कर विन्दवल से जैराजपुर कन्धरापुर तिराहे के पास पहुँचे कि एक व्यक्ति कन्धरापुर की तरफ से पैदल आता हुआ दिखायी दिया कि मुखबिर ने इशारा करके हट बढ गया कि पुलिस टीम ने एक वारगी हिकमत अमली से पैदल आ रहे व्यक्ति को तिराहा से करीब 50 कदम पहले ही घेरमार कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम भोलू उर्फ इसराइल पुत्र जुम्मन सा0 जयराजपुर थाना बिलरियागज आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष बताया उसके जामा तलाशी से एक अदद तमंचा .303 बोर नाजायज व एक अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर प्रतिबन्धित बरामद हुआ हैं। जिसके सम्बन्ध में कागजात तलब किया गया तो दिखाने से कासिर रहा और अपनी गलती का बार बार माफी मांगते हुए बता रहा हैं कि साहब यह मैं अपने शौक के लिए रखा हूँ। अभियुक्त के पास से नाजायज तमंचा व जिन्दा प्रतिबन्धित .303 बोर का कारतूस रखना अन्तर्गत धारा 3/7/25 A. ACT. का अपराध पाकर बताकर समय करीब 1.20 AM बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

भोलू उर्फ इसराइल पुत्र जुम्मन सा0 जयराजपुर थाना बिलरियागज आजमगढ़

बरामदगी-

एक अदद तमंचा .303 बोर नाजायज व एक अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 69/2021 धारा 3/7/25 शस्त्र अधिनियम थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1-थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

2-उ0नि0 ओमप्रकाश यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

3- हे0का0 मो0 आफताब खाँ थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

4- का0 अमरजीत थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

5- का0 अजय सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना- रानी की सराय

एक अदद चाकू के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अग्रिम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत चलाये जा रहे अभियान शराब विक्री की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/की गिरफ्तारी तथा सदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के तहत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन वप्रभारी निरीक्षक रानी की सराय के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान के तहत उ0नि0 अनुपम जयसवाल मय साथी उ0नि0 राजकुमार तिवारी के रानी की सराय ब्लाक गेट त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के विषय मे वार्ता कर रहा थे कि मुखबीर खास आकर बताया कि एक व्यक्ति सेमरहा मोड़ पर नाजायज चाकू लेकर खड़ा है जो किसी घटना को कारित करने के फिराक में है इस सूचना पर विश्वास कर मय हमराही व मुखबीर को साथ लेकर सेमरहा मोड़ पर खड़े व्यक्ति दुर्गा यादव पुत्र बाबू राम यादव ग्रा0 कस्बा रानी की सराय थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर लिया गया तथा अभियुक्त की जामा तलाशी ली गयी तो अभियुक्त के पास से एक अदद नाजायज चाकू बरामद हुआ। अभियुक्त को आज दिनांक 11.04.2021 को समय करीब 09.45 बजे गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 36/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त –

दुर्गा यादव पुत्र बाबू राम यादव ग्रा0 कस्बा रानी की सराय थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

एक अदद नाजायज चाकू ।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0स0 0036/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना रानी की सराय आजमगढ

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 104/2019 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0- 0036/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 अनुपम जयसवाल , उ0नि0 राजकुमार तिवारी ।

थाना- जीयनपुर

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 08.04.2021 को वादिनी सुनीता देवी पत्नी लालधन चौहान निवासी भरौली थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 114/2021 धारा 323/504/506 भादवि0 थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ बनाम अभियुक्तगण 1- शिवसरन चौहान पुत्र स्व0 शंकर 2-मिथुन चौहान पुत्र शिवसरन चौहान निवासीगण भरौली थाना जीयनपुर आजमगढ का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

उ0नि0 चन्द्रशेखर यादव मय हमराह के थाना हाजा से रवाना होकर पंचायत चुनाव के मद्देनजर भ्रमण करते हुए मु0अ0सं0 114/21 धारा- 323/504/506/304 भादवि मे वांछित अभियुक्तगणो की तलाश/गिरफ्तारी हेतु मामूर थे कि जरिये मुखविर खास सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शिवसरन चौहान पुत्र स्व0 शंकर निवासी भरौली थाना जीयनपुर आजमगढ रजादेपुर चौराहे पर खडा है , कही भागने की फिराक मे है। इस सूचना पर विश्वास करके उप निरीक्षक मय हमराह कर्म0गण के मय मुखबिर के रजादेपुर चौराहे से थोड़ा पहले पहुँचे , जहाँ पर मुखबिर खास द्वारा इशारे से चौराहे पर खडे व्यक्ति के तरफ इशारा कर हटबढ़ गया कि पुलिस टीम द्वारा एक बारगी घेरकर उक्त व्यक्ति को पकड लिया गया पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम शिवसरन चौहान पुत्र स्व0 शंकर उम्र करीब 58 वर्ष निवासी भरौली थाना जीयनपुर आजमगढ बताया जिसको कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 10.40 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0- 114/21 धारा- 323/504/506/304 भादवि0 थाना जीयनपुर आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त-

शिवसरन चौहान पुत्र स्व0 शंकर उम्र करीब 58 वर्ष साकिन भरौली थाना जीयनपुर आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 चन्द्रशेखर यादव थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ

2. का0 दुर्गेश कुमार सिंह थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ

3. का0 अभिषेक यादव थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ

थाना तरवाँ

वांछित अभियुक्त गिरफ्तार 01

आज दिनाक मय हमराहीयान थाना हाजा से रवाना होकर बिनावर देखभाल 0नि0को प्र 11.04.2021 क्षेत्र पेन्डिग विवेचना व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत भ्रमणशील होकर बूथो का भ्रमण तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित जिलाबदर के गिरफ्तारी के आदेश के अनुपालन मे परमानपुर बाजार मे मौजूद थ/वारण्टी/ तभी मुखबिर खास आकर बताया की मु120/302 धारा 2020/151 0स0अ0B/34 भा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 0वि0द0से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त पब्बर यादव इस समय अपनी लडकी से मिलने मौलानीपुर आया हुआ है की मुखबिर के बातो पर विश्वास करके मुखबिर खास को साथ लेकर ग्राम मौलानीपुर के लिये चल दिये तथा अभियुक्त पब्बर यादव के दामाद लाल बिहारी के घर सामने रोड पर एक व्यक्ति खडा दिखायी दिया जिसकी तरफ मुखबिर इशारा करके गाडी रोकवाकर कदम पहले उतर गया तथा पुलिस 20टीम द्वारा एक बारगी खडे व्यक्ति के तरफ आगे बढ़े तो एकाएक खडे व्यक्ति की निगाह पुलिस टीम की गाडी पर पड गयी और वह लालगंज जाने वाली रोड की तरफ भागने का प्रयास किया जिसको -कदम जाते 30- 20जाते हमराही कर्म गण की मदद से पकड लिया गया0। पकड़े गए व्यक्ति से नाम पता व भागने का कारण पूछा गया तो बता रहा है की मेरा नाम पब्बर यादव उर्फ नौबत पुत्र स्व जमुना निवासी बेनूपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ बताया जो 0 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया 12.50 मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्त है को कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब

पंजीकृत अभियोग-

मु120/302 धारा 2020/151 0स0अ0B/34 भाथाना तरवां जनपद आजमगढ़ 0वि0द0

गिरफ्तार अभियुक्त

पब्बर यादव उर्फ नौबत पुत्र स्व जमुना निवासी बेनूपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ 0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक तरवां स्वतंत्र कुमार सिंह मय हमराह

थाना देवगांव

01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

दिनाँक 11 04.2021.को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के निदेशन व अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निदेशन व क्षेत्राधिकारी लालंगज , प्रभारी निरीक्षक देवगांव के नेतृत्व में अपराध एव अपराधियो वारण्टी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में मुखबिर से सूचना मिली कि/ACJM कोर्ट न 10 0 0 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त इन्दल यादव पुत्र देवराज नि 427/338/337/279 धारा 2018/3068 स0अ0मु चकियाभगवानपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ अपने घर पर मौजूद है इस सूचना पर उ अनिल कुमार सिंह 0नि0 मय हमराह के साथ वारण्टी उपरोक्त के घर ग्राम चकिया भगवानपुर पहुचे तो वारण्टी उपरोक्त अपने घर पर मौजूद मिला। वारण्टी इन्दल यादव पुत्र देवराज निचकिया 0 भगवानपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ को समय बजे 08.35 कारण गिरफ्तारी बता कर पुलिस हिरासत मे लिया गया।

गिरफ्तार शुदा वारण्टी का नाम पता ----

1. इन्दल यादव पुत्र देवराज निचकियाभगवानपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ 0

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम –</u>
उ अनिल कुमार सिंह चौकी प्रभारी लालगंज थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ 0नि0
का सदानन्द शाह चौकी लालगंज थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ 0

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 3 5 व्यक्तियों के विरूद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।